''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक-टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सिं. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मई 2002—वैशाख 31, शक 1924

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक 510/परिवहन/2002.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 38, 65 तथा 96 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 परंतुक (ज) में शब्द ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'' के स्थान पर ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या जिला परिवहन अधिकारी'' स्थापित किया जाये.

2. नियम 40 के क्रमांक 8 में अंक ''50'' के स्थान पर ''20'' स्थापित किया जाये.

3. नियम 62 के क्रमांक 4 में अंक ''50'' के स्थान पर ''20'' स्थापित किया जाये.

4. नियम 145 के क्रमांक 13, 15, और 19 के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाये :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम रुपयों में (3)
13.	मोटर कय से भिन्न परिवहन यान के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(अ) धारा 87 (1) (क) के अधीन	200.00
	(ब) धारा 87 (1) (ख) के अधीन	300.00
	(स) धारा 87 (1) (ग) के अधीन	300.00
	(द) धारा 87 (1) (घ) के अधीन	300.00
15.	धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	500.00
19.	चार मास से अनधिक की कालावधि के लिये किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में.	300.00

टीप :—इस नियम के खण्ड 8 तथा 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र मंजूर/नवीकरण करने हेतु अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी यदि आवेदन वास्तविक कृषक द्वारा उसके स्वामित्व के ट्रेक्टर, ट्राली के लिये प्रस्तुत किया गया हो.

स्पष्टीकरण :— अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो इसके लिये छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 510/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 21-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur the 21st May 2002

NOTIFICATION

No. 510/Trans./2002.—In exercise of the powers conferred by Section 38, 65 and 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994, which has already been published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act :—

AMENDMENT

In the said ruls, --

1. In clause (h) of rule 2, for words "or Assistant Regional Transport Officer" the words "Assistant Regional Transport Officer or District Transport Officer" shall be substituted.

2. In Sr. No. 8 of rule 40, the figure "50" shall be substituted by "20".

3. In Sr. No. 4 of rule 62, the figure "50" shall be substituted by "20".

4. For Sr.No. 13, 15 and 19 of rule 145, the following shall be substituted :—

Sr. No.		Purpose	Amount in Rupees
(1)		(2)	(3)
13.		In respect of an application for temporary permit of tranport vehicle other than motor cab :—	
	(a)	Under section 87 (1) (a)	200.00
	(b)	Under section 87 (1) (b)	300.00
	(c)	Under section 87 (1) (c)	300.00
	(d)	Under section 87 (1) (d)	300.00
15.		In respect of an application for a special permit under section 88 (8)	500.00
19.		In respect of an application for grant of a temporary replacement of a vehicle for the period not exceeding four months.	300.00

Note :—No fee shall be payable in respect of an application for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit in Sr. No. 8 and 13 of this rule, if the application is presented by the bona-fide agriculturist in respect of a tractor-trolley combination owned by him.

Explanation :—The expresion "Bona-fide agriculturist" shall have the meaning as assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.